140587

नवीकरण प्रमाण पत्र कमांक........................

प्रारूप – 9

नियम 8 (2) देखिये

संख्या 8413

दिनांक 23-3-17

सोसाइटी के नवीकरण का प्रमाण–पत्र
(अधिनियम संख्या 21 , 1860 के अधीन)

नवीकरण संख्या 2830 पत्रावली संख्या एजी--43731 दिनांक 2006-2007

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि ....शान्ती निकेतन चैरिटेबिल............
वेलफेयर सोसाइटी, पता–2/363 ए नामनेर जिला–आगरा।
....को

दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र 2341/2006–07 दिनांक 21-03-2007 को दिनांक 21-03-2017 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया गया है ।

1000 रूपये की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है ।

जारी करने का दिनांक 21-03-2017

सोसाइटी के रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 2 सो0 फर्म एवं चिट्स–21–11–2014–(1374)–2,00,000 प्रतियां–(क0/टी0/आफसेट)।

संख्या 8402 / 23-3-12

सोसाइटी के नवीकरण का प्रमाण–पत्र

नवीकरण संख्या 2624 2012

फाइल संख्या I Ag. 43731

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि शान्ती निकेतन चैरिटेबिल वेलफेयर सोसाइटी - 2/263 ए - नामनेर आगरा को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र संख्या 2341/2006-07

दिनांक 21-3-2007 को दिनांक 21-3-2012 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया गया है ।

Rs 1000 रुपये की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है ।

दिनांक 23.3- 2012

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश ।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 6 फर्म्स निबन्धक–1.02.2009–(419)–2,000–(कम्प्यूटर/आफसेट)।

NOTARY GOVT OF INDIA

मंजू गुप्ता

स्मृति–पत्र

1–संस्था का नाम– शान्ती निकेतन चैरिटेबिल वैलफेयर सोसाइटी।

2–संस्था का पता– 2/363,ए नामनेर आगरा ।

3–संस्था का कार्यक्षेत्र– सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश ।

4–संस्था के उद्देश्य–

1– संस्था का उद्देश्य शिक्षा का प्रचार व प्रसार करना व शिक्षा विकास हेतु जगह–जगह विद्यालयों की स्थापना करना व उनका विधिवत संचालन कर छात्र–छात्राओं का सामाजिक, नैतिक, बौद्धिक, शैक्षिक, चारित्रिक, शारीरिक, साहित्यिक, रचनात्मक एवं कलात्मक उन्नति का समुचित प्रयास करना ।

2– शिक्षा के उत्तरोत्तर विकास हेतु कार्यक्षेत्र में प्राईमरी से लेकर जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल, एवं इण्टर मीडिएट, डिग्री कालेजों पोस्ट ग्रेजुएंट कालेज की स्थापना कर उन्हें लाभान्वित कराना ।

3– निर्धन, अनाथ अपंग अनुसूचित जाति जन जाति बच्चों को निशुल्क शिक्षा व उनके छात्रवृत्ति की समुचित व्यवस्था करना तथा बच्चों की सुविधा हेतु छात्रावास एवं पुस्तकालय, वाचनालय, कीड़ा स्थल, व्यायामशाला की व्यवस्था करना । एव शैक्षिक व खेल प्रतिभा की प्रतियोगिताओ का आयोजित करना ।

4– उच्च शिक्षा विकास हेतु युवक–युवतियों के लिये आधुनिक शिक्षा परक शिक्षा संस्थानों तकनीकी, इंजीनियरिंग, औद्योगिक, व्यवसायिक, कृषि एवं प्रबन्धन शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर उन्हें स्वावलम्बी एवं आत्मनिर्भर बनाना ।

5– कार्यक्षेत्र में केन्द्रीय एवं राज्य सरकार समाज कल्याण विभाग एवं शिक्षा विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करना एवं सम्बन्धित विभागों से सम्पर्क स्थापित कर सहायता प्राप्त करना ।

6– समय–समय पर सॉस्कृतिक कार्यकमों, गोष्ठियों, स्वास्थ्य रक्षा शिविरों, राहत शविरों, जनजागृति शविरों, कलाप्रदर्शनी, का आयोजन करना तथा प्रौढ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा कार्यकम, बालश्रम उन्मूलन कार्यकम, मद्यनिषेध कार्यकम चलाना ।

7– केन्द्रीय एवं राज्य सरकार, निगम बोर्ड, सम्बन्धित विभागों के वित्तीय सहयोग से युवक युवतियों के कल्याण हेतु व उन्हें आत्म निर्भर व स्वावलम्बी बनाने हेतु सुलभ रोजगारपरक प्रशिक्षण जैसे सिलाई, कढाई, कताई, बुनाई, हस्तशिल्पकला, वास्तुकला, दस्तकारी, दरी, कालीन, ड्राइंग पेंटिंगकला प्रशिक्षण, टंकण, लेखन, आशुलिपि, संगीत, गायन, वादन, नाट्य कला प्रशिक्षण एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण (हार्डवेयर, साफ्टवेयर, इन्टरनेट), इलैक्ट्रिक, इलैक्ट्रॉनिक्स सामान की मरम्मत, काल सेन्टर ट्रेनिंग, वीडियो एवं फोटोग्राफी, चलचित्र सम्पादन, फैशन डिजायनिंग, टैक्सटाइल, डिजायनिंग, ब्यूटीशियन आदि का प्रशिक्षण देकर/दिलाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, तथा उनमें जागरूता पैदा करना।

8– समाज के अपेक्षित लोगों जैसें अन्धे, कुष्ठ रोगी व मूकवधिरों विकलॉगों व निराश्रित, लाचार बृद्धजनों के कल्याण के लिये कार्य करना, बाल आश्रम, अनाथालय एवं वृद्धाश्रम की स्थापना करना ।

9– नागरिकों के सर्वांगीण विकास हेतु शहरी एवं ग्राम्य क्षेत्र के पिछड़े क्षेत्रों एवं मलिन बस्तियों में स्वच्छता, साक्षरता, परिवार नियोजन, शिशु पोषण महिला एवं बाल विकास कार्यकम बाल टीकाकरण कार्यकमों, गर्भवती महिलाओं का निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण आदि कार्यकम चलाना तथा उनके कल्याण हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की उन्हें जानकारी देना एवं समय–समय पर जागरूकता शिविरों का आयोजन करना ।

10– नागरिकों में सामाजिक जन चेतना जागृत करना एवं विज्ञापन,पोस्टर, बैनर आदि के माध्यम से एड्स, कैंसर, हैपिटाइटिस बी आदि जानलेवा बीमारियों से बचने के उपाय सुझाना एवं इन पर प्रभावी अंकुश लगाने का भरसक प्रयास करना तथा विभिन्न रोगों से नागरिकों को मुक्ति दिलाने हेतु चैरिटेबिल हास्पिटल का संचालन व प्रबन्धन करना ।

11– देश विदेश एवं प्रदेश की समान उद्देश्यों वाली संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित करना एवं उनका सहयोग करना एवं ऐसी संस्थाओं से वित्तीय अनुदान, ऋण, सहयोग प्राप्त कर समाज विकास हेतु विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम चलाना ।

12– युवाओं में राष्ट्रीय एकता, सामुदायिक विकास आपसी सदभावना जैसे मूल्यों का विकास करना तथा उनके प्रचार प्रसार सहयोग देना । राष्ट्रीय विकास और समाज सेवा के कार्यक्रमों के संचालन से सहयोग प्रदान करना ।

13– ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्रों में नागरिकों की सुविधा हेतु सामुदायिक केन्द्रों, धर्मशाला एवं अन्य धर्मार्थ संस्थाओं शिक्षा सस्थानों, धर्मार्थ औषाधालयों का निर्माण व उसके संचालन की पूर्ण व्यवस्था करना ।

14– केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के सहयोग से चलायी जा रही योजनाओं के तहत ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्रों में गन्दे पानी की निकासी हेतु नाली कच्चें पक्के नालों का निर्माण एवं मार्ग को जोड़ने के लिये पुलों का निर्माण कराना ।

निराश्रित महिलाओं एवं अनाथ बच्चों के कल्याण हेतु समय समय पर विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम चलाना, ऑगनवाडी, वालवाडी, नारी निकेतन, प्रौढ शिक्षा केन्द्रों, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम सॉस्कृतिक कला केन्द्रां व बालश्रमिक बच्चों के उत्थान हेतु बाल श्रमिक विद्यालय की स्थापना कर उनके उत्थान हेतु कार्य करना ।

16– शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु केन्द्रीय एवं राज्यसरकार,निगम तथा बोर्ड आदि के सहयोग से सम्बन्धित विभागों एवं मंत्रालयों द्वारा क्षेत्र के विकास हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनाऐं जैसे शुद्ध पेयजल की व्यवस्था व पानी की समस्या हेतु हैण्डपम्प, टंकी, लगवाना क्षेत्र को मुख्य सम्पर्क मार्ग से जोड़ने हेतु सड़क खडंजा तथा मलिन बस्तियों का सुधार, सफाई व शौचालयों, सामुदायिक केन्द्रों, आश्रय स्थल एवं की स्थापना/निमार्ण कराना तथा लोगों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास करना ।

17– कृषि प्रधान देश में किसानों की सोचनीय दशा को ध्यान में रखते हुए उन्नत कृषि को बढ़ावा देना व उन्नत कृषि के बारे में किसानों को कृषि विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण देना तथा किसानों में परस्पर सहयोग एकता की भावना पैदा कर उन्नति कृषि को अपनाने पर बल देना, जैविक खाद के उपयोग, प्रचार प्रसार तथा किसानों को इसकी उपयोगिता के बारे में सभी प्रकार के प्रशिक्षण देने से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित करना ।

18– पर्यावरण सुधार हेतु जागरूकता शिविरों का आयोजन कर नागरिकों को पर्यावरण विकास के लिये प्रेरित करना एवं जगह–2 वृक्षारोपण कराना एवं पर्यावरण रक्षा गोष्ठियों का आयोजन कर बढते प्रदूषण को कम करने का हर सम्भव प्रयास करना ।

19– सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों को चलाना व खाली पड़ी ऊसर बंजर भूमि पर सघन वृक्षीकरण का कार्य कर वनीकरण को बढावा देना व अवैध लकडी कटाई को रोकने मे सरकार का सहयोग करना ।

20– ग्रामीण क्षेत्रों में मुर्गीपालन, भेड पालन, बकरी पालन, मत्स्य पालन, मौनपालन, पशुपालन आदि को बढावा देना, तथा फ्लोरिकल्चर, एवं अन्य उन्नतकृषि को बढावा देना एवं कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना तथा मशरूम की खेती व प्लान्टेशन कार्य के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा कर उन्हें रचनात्मक कार्यों की ओर प्रेरित कर गॉवों का सर्वांगीण विकास करना ।

21– पशुधन जानवरों के स्वास्थ्य संरक्षण, सबर्द्धन का कार्य करना व बीमार पशुओं, वन्यजीवों के लिये पशु चिकित्सालय पशुशाला गौ संवर्धन व संरक्षण करना व गौशाला की व्यवस्था करना एवं उनके प्रति मानवीय संवेदनाओं को प्रेरित तथा जानकारी हेतु जागरूकता शिविरों का आयोजन करना ।

22– खाद्य प्रसंस्करण के अर्न्तगत फलों का संरक्षण प्रशोधन पैकिंग करना व खाद्य प्रसंस्करण के अर्न्तगत आने वाली प्राकृतिक वस्तुओं को खाने योग्य बनाना व उनके विपणन की व्यवस्था करना तथा प्राप्त आय का सस्था के हितार्थ उद्देश्यों की पूति एवं चेरीटेबिल कार्य पर व्यय करना

23– खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रिजर्वेशन, बेकरी, एवं कन्फेक्शरी, सेरियली, प्रोसेसिंग, मॉस–मछली प्रसंस्करण, पोल्ट्री एवं एग प्रोसेसिंग मशरूम स्पान प्रोसेसिंग, आयल सीड प्रोसेसिंग इत्यादि का संचालन करना ।

24– जल प्रबन्धन, कृषि अभियन्त्रण, कृषि रक्षा, कृषि आधारित ग्राम उद्योग, यॉत्रिक आविष्कार, अनुसंधान के सम्बन्ध में कार्य करना तथा बंजर भूमि व ऊसर भूमि सुधार कार्यकमों का संचालन कर भूमि को उपजाऊ व कृषि योग्य बनाना ।

25– उ0प्र0 खादी ग्रामोद्योग बोर्ड/खादी ग्रामोद्योग आयोग के सहयोग से ग्रामोद्योगी इकाइयों की स्थापना करना, चलाना व उसके शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था कर निर्धन युवक युवतियों व नागरिकों को रचनात्मक कार्यकमों की ओर आकर्षित करना ।

26– अपराम्परिक ऊर्जा श्रोत संयत्र गोवर गैस सोर्य ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा पर आधारित कार्यकमो का प्रदर्शन एवं विकास करना ।

27– महिलाओं को स्वरोगार व आत्म निर्भरता प्रदान करने हेतु स्वयं सहायता समूहों, महिला स्वयं सहाता समूहो का गठन करना व उनके कल्याण हेतु चलाई जा रही समस्त कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना व शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

28– महिलाओं के उत्पीड़न को रोकना तथा महिला सशक्तिकरण जैसे कार्यकम चलाकर महिला में जागरूकता लाना व उन्हें स्वरोजगार बनाना ।

29– समाज में व्याप्त कुरीतियों व सामाजिक बुराईयों का खत्म करना करने का प्रयास करना तथ अतिवृष्टि, बाढ, सूखा, भूकम्प आदि दैवीय प्रकोप के समय राहत शिविरों आदि का आयोजन कर पीड़ितों की हर सम्भव सहायता करना ।

30– शिक्षा विकास हेतु सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0/उ0प्र0शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय एवं उच्च शिक्षा संस्थानों, तकनीकी संस्थानों, बोर्डिंग स्कूलों की स्थापना उनके लिये पुस्तकालय, वाचनालय, छात्रावास, की स्थापना करना ।

31– संस्था के नाम से व अन्य नामों से कार्यक्षेत्र में जगह–जगह विद्यालय, स्कूल शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानें, कालेजों की स्थापना करना व उनका विधिवत प्रबन्ध संचालन करना।

5– प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पता, पद एवं व्यवसाय दिये गये हैं जिन्हें कि नियमानुसार संस्था का कार्यभार सौंपा गया है–

क्रम सं0 नाम	पता	पद	व्यवसाय
1–श्रीमती नीलम अग्रवाल पत्नीश्री विनय अग्रवाल	6, लता कुंज आगरा	अध्यक्ष	गृहणी
2–श्रीमती शिल्पा पत्नीश्री ए0के0 गुप्ता	7, लता कुन्ज सोंठ की मण्डी आगरा	उपाध्यक्ष	सर्विस
3–श्रीमती मंजू गुप्ता पत्नीश्री विजय कुमार	2/363, नामनेर आगरा	सचिव	व्यवसाय
4–श्रीमती मधु अग्रवाल पत्नीश्री रितेश अग्रवाल	6, लता कुंज आगरा	उपसचिव	गृहणी
5–श्री अजय कुमार अग्रवाल पुत्रश्री चिरंजीलाल अग्रवाल	2/363, ए0 नामनेर [illegible] आगरा	कोषाध्यक्ष	व्यापार
6–श्री मनोज अग्रवाल पुत्रश्री एस0सी0 अग्रवाल	45, सरलाब[illegible] दयालबाग आगरा	सदस्य	सर्विस
7–श्री अमित अग्रवाल पुत्रश्री विजयबाबू अग्रवाल	मुरसान हाथ[illegible]	सदस्य	सर्विस
8–श्री अशोक कुमार अग्रवाल पुत्र स्व0श्री रामजीलाल अग्रवाल	6, लताकुन्ज सोंठ की मण्डी आगरा	सदस्य	व्यापार
9–श्रीमती मुन्नी देवी पत्नीस्व0श्री बाबू लाल गोयल	33/6 डी0एस0ए0 लोहिया नगर बल्केश्वर आगरा	सदस्य	गृहणी
10–श्री प्रमोद कुमार गर्ग पुत्रश्री वी0एल0 गर्ग	बी–64, भगवाननगर, बल्केश्वर आगरा	सदस्य	व्यापार

6–हम निम्न हस्ताक्षर कर्ता घोषित करते है कि उक्त स्मृति–पत्र एवं संलग्नक नियमावली के अनुसार सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधि0–21 सन्1860 के अन्तर्गत एक समिति का पंजीयन करना चाहते है ।

नीलम अग्रवाल Madhu Agarwal Amit magarwal

मंजू गुप्ता मुन्नी देवी SHILPA प्रमोद कुमार

सत्य प्रतिलिपि

उप निबन्धक

13/3/09

मंजू गुप्ता

17/11/16

नियमावली

1–संस्था का नाम– शान्ती निकेतन चैरिटेबिल वेलफेयर सोसाइटी।
2–संस्था का पता– 2/363,ए, नामनेर आगरा।
3–संस्था का कार्यक्षेत्र– सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।
4–संस्था के उद्देश्य– संलग्नक स्मृति पत्र के अंकितानुसार ही होंगे।
5–संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग–,

जो सज्जन इस संस्था के उद्देश्यों व नियमों में आस्था एवं विश्वास रखते होगें एवं निर्धारित सदस्यता शुल्क एवं चन्दा देंगे वे इस संस्था के सदस्य बनाये जा सकेगें। जो निम्न वर्ग के होगें –

संरक्षक सदस्य–जो सज्जन इस संस्था को एकमुश्त 5000/–रू0 सदस्यता शुल्क के रूप में निस्वार्थ भाव से देगें अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल या चल सम्पत्ति दान स्वरूप देंगे वे इस संस्था के संरक्षक सदस्य आजीवन रहेगें।

आजीवन सदस्य–जो सज्जन इस संस्था को एकमुश्त 1000/–रू0 सदस्यता शुल्क के रूप में निस्वार्थ भाव से देगें अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल या चल सम्पत्ति दान स्वरूप देंगे वे इस संस्था के आजीवन सदस्य होगें।

सामान्य सदस्य–जो सज्जन इस संस्था को 500/–रू0 वार्षिक सदस्यता शुल्क के रूप में दिया करेगें वे इस संस्था के सामान्य सदस्य होगें।

विशिष्ट सदस्य– ऐसे सज्जन जिनकी आवश्यकता इस संस्था को महसूस हो रही हो एवं संस्था का तन, मन, धन से सहयोग करने के लिये तत्पर रहते हों व जो ... होगें सरकार द्वारा सम्मानित एवं उपाधि प्राप्त सदस्यों, जनप्रतिनिधि सदस्यों को ... कार्यकारिणी समिति दो वर्ष के लिये संस्था का विशिष्ट सदस्य मनोनीत करेगी ऐसे सदस्य सदस्यता शुल्क से मुक्त होगें उनकी स्वेच्छा से दिया गया दान चंदा संस्था को स्वीकार होगा। ऐसे सदस्यों को चुनाव में मत देने एवं भाग लेने का अधिकार न होगा।

6–सदस्यता की समाप्ति–1–सदस्य की मृत्यु होने, पागल या दिवालिया घोषित होने पर।
2–आचरण भ्रष्ट होने एवं संस्था विरोधी कार्य करने पर।
3–किसी न्यायालय द्वारा अनैतिक कार्य करने पर दण्डित किये जाने पर।
4–सदस्यता शुल्क समय से अदा न करने पर।
5–संस्था की लगातार तीन बैठकों में बिना किसी कारण के बताये अनुपस्थित रहने पर।
6–किसी सदस्य के विरूद्ध 2/3 बहुमत से अविश्वास का प्रस्ताव पारित होने पर।
7–सदस्य द्वारा त्याग–पत्र दिये जाने पर व उसे स्वीकृत होने पर सदस्य की सदस्यता स्वतः ही समाप्त मानी जावेगी।

7–संस्था के अंग– (अ) साधारण सभा (ब) प्रबन्धकारिणी समिति।

8–साधारण सभा– (अ) गठन– साधारण सभा का गठन संस्था के सभी सदस्यों को मिलाकर किया जावेगा।

(ब) बैठकें– साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक तथा विशेष बैठक कभी भी आवश्यकतानुसार सदस्यों को सूचना देकर बुलाई जा सकती है।

(स) सूचना–अवधि–साधारण सभा की सामान्य बैठकों की सूचना सदस्यों को कम से कम 15 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना सदस्यों को 3 दिन पूर्व सूचना के किसी उचित या पर्याप्त माध्यम से सदस्यों को दी जावेगी।

NOTARY PAWAN KUMAR SHARMA Advocate DISTT. AGRA Regd. No. 2323/02 GOVT. OF INDIA

मंजूगुप्ता

13/3/12

(द)गणपूर्ति– गणपूर्ति के लिये कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 सदस्यों की उपस्थिति का कोरम होगा ।

(य) विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि–संस्था का विशेष वार्षिक अधिवेशन प्रतिवर्ष होगा जिसकी तिथि संस्था की कार्यकारिणी समिति के बहुमत से तय की जावेगी।

(र) साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य–

1– संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति का समय–समय पर चुनाव सम्पन्न कराना ।

2– नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन परिवर्धन 2/3 बहुमत से करना ।

3–वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यकमों की रूप रेखा तैयार पर विचार विमर्श कर उसे स्वीकृत/अस्वीकृत करना ।

9–प्रबन्धकारिणी समिति–

(अ) गठन–प्रबन्धकारिणी समिति का गठन संस्था की साधारणसभा में से बहुमत से 9 सदस्यों को चुनकर किया जावेगा, प्रबन्धकारिणी समिति मे एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक प्रबन्धक/सचिव, एक उपसचिव, एक कोषाध्यक्ष, एवं शेष कार्यकारिणी सदस्य होगें।

कार्यकारिणीसमिति की संख्या साधारण सभा के 2/3 बहुमत से कभी भी आवश्यकतानुसार घटाई या बढाई जा सकती है जो कम से कम 7 व अधिक से अधिक 15 होगी।

(ब)बैठकें–प्रबन्धकारिणीसमिति की सामान्य बैठक वर्ष में दो तथा विशेष बैठक कभी भी आवश्यकतानुसार सदस्यों को सूचना देकर बुलाई जा सकती है ।

(स) सूचना–अवधि– प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठकों की सूचना सदस्यों को एक सप्ताह पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना सदस्यों को एक दिन पूर्व सूचना के किसी भी उचित या पर्याप्त माध्यम से सदस्यों को दी जावेगी ।

(द) गणपूर्ति–गणपूर्ति के लिये कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 सदस्यों की उपस्थिति का कोरम होगा।

(य) रिक्त स्थानों की पूर्ति–प्रबन्धकारिणी समिति के अर्न्तगत यदि कोई आकरिमक स्थान रिक्त हो जाता है तो इस स्थान/पद की पूर्ति साधारण सभा के बहुमत से प्रबन्धकारिणी समिति में शेष कार्यकाल के लिये कर ली जावेगी ।

(र) प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य–

1– संस्था के उन्नति एवं विकास हेतु कार्य करना एवं आपसी विवादों को सुलझाना।

2– नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन परिवर्धन साधारण सभा के 2/3 बहुमत से कर उसे साधारण सभा से स्वीकृत कराना ।

3–वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यकमों की रूप रेखा तैयार करना ।

4–संस्था के विकास हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों/मंत्रालयों एवं अन्य संस्थानों प्रतिष्ठानों, निकायों, नागरिकों आदि से दान, अनुदान, चन्दा, ऋण, एवं वित्तीय सहायता प्राप्त करना प्राप्त आय को संस्था के हितार्थ उद्देश्यों की पूर्ति एवं चेरीटेबिल कार्यो पर व्यय करना ।

5–संस्था के विकास हेतु जगह–जगह प्रदेश, मण्डल व जिला स्तरों पर अपने शाखा कार्यालय स्थापित कर उनका संचालन करेगी तथा ऐसी शाखाओं के लिये उपसमितियों गठन व उनकी सेवा शर्त के नियम निर्धारित करना तथा कार्य पूर्ण होने व दोष पूर्ण कार्य करने पर ऐसी उपसमितियों को भंग करना व नवीन उप कार्यकारिणी बनाना तथा उनके कोष पर पूर्ण नियंत्रण रखना क्षेत्रीय स्तर पर उपईकाईयों/उपसमितियों द्वारा कल्याणकारी परियोजनाओं का संचालन करना/कराना ।

(ल)कार्यकाल–| प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का कार्यकाल पॉच वर्ष का होगा ।

13/3/14

मंजू गुप्ता

मंजू गुप्ता

10—पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य—

अध्यक्ष— 1—संस्था की ओर से समस्त प्रकार की मीटिंगों की अध्यक्षता करना ।
2—मीटिंग बुलाना व स्थगित करना, किसी विषय पर बराबर मत की दशा में अपना निर्णायक मत देना ।
3—संस्था की कार्यकारिणी समिति व साधारण सभा द्वारा स्वीकृत कार्यों को करना व संस्था की आम देखभाल करना ।

उपाध्यक्ष— अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके द्वारा स्वीकृत कार्यों को करना सामान्य स्थितियों में उनका सहयोग करना।

प्रबन्धक / सचिव —1—संस्था की ओर से समस्त प्रकार का पत्राचार करना, मीटिंग बुलाना व उसकी सूचना सदस्यो तक पहुँचाना, मीटिंग कार्यवाही लिखना ।
2—संस्था के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना व उसका प्रचार प्रसार करना ।
3—संस्था की अचल चल सम्पत्ति की सुरक्षा करना, दान अनुदान चन्दा व सदस्यताशुल्क प्राप्त करना, प्राप्त आय को संस्था कोष में जमा करना ।
4—संस्था द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों, विद्यालयों की पूर्ण व्यवस्था व उसके लिये कर्मचारियों एवं कार्यकर्ताओं की नियुक्ति निस्कासन पदोन्नति एवं पदच्युत करना, उनकी सेवा शर्त के नियम बनाना, वेतन भत्ते तय करना व उसका भुगतान करना ।
5— संस्था के समस्त आवश्यक दस्तावेजों, ऋण अनुदान पत्रों, चैकों, ड्राफ्टों बन्धक विलेखों बिल—बाऊचरों पर हस्ताक्षर करना ।
6—संस्था की ओर से समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही की पैरवी करना एवं अभिलेखों को अपने पास सुरक्षित रखना ।
7—कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिये परियोजना तैयार करना व उसे सम्बन्धित विभागों को स्वीकृत के लिये भेजना ।
8—संस्था के विकास हेतु अन्य वे सभी आवश्यक कार्य करना जो संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति एवं संस्था विकास में सहायक हों करना ।

उपसचिव— संस्था के प्रबन्धक / सचिव की अनुपस्थिति में उनके द्वारा सौंपे गये कार्य करना सामान्य स्थितियों में उनका सहयोग करना ।

कोषाध्यक्ष— 1—संस्था के आय—व्यय का लेखा जोखा रखना एवं समस्त आय—व्यय बही पत्रों को तैयार करना ।
2—संस्था के कोष को संस्था के खाते में जमा करना एवं दान अनुदान चंदा आदि प्राप्त करना ।
3—सचिव / प्रबन्धक द्वारा स्वीकृत कार्यों को करना व बिल बाऊचरों का भुगतान करना।

11—संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन प्रक्रिया—संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन सोसा0रजि0अधि0 की संगत धारा के अर्न्तगत साधारण सभा के 2/3 बहुमत से करना ।

12—संस्था का कोष एवं लेखा व्यवस्था—संस्था का कोष किसी भी बैंक या पोस्ट आफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जावेगा । जिसका संचालन संस्था के सचिव / प्रबन्धक के हस्ताक्षर से होगा ।
संस्था द्वारा संचालित विद्यालय की छात्रवृत्ति से सम्बन्धित खाता विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं सहायक अध्यापक के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित होगा ।

13/3/09

मंजू गुप्ता

13—संस्था का लेखा परीक्षण(आडिट)— संस्था का लेखा परीक्षण प्रति वर्ष सत्र समाप्ति पर किसी योग्य चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा कराया जावेगा ।

14—संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व— संस्था द्वारा होने वाली समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही के संचालन की पैरवी संस्था के सचिव/प्रबन्धक द्वारा अथवा उनके अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जावेगी।

15—संस्था के अभिलेख:— 1—सदस्यता रजिस्टर 2— कार्यवाही रजिस्टर ।
3—कैशबुक रसीद बुक, 4—एजेण्डा रजिस्टर आदि ।

16—प्रतिबन्ध—(1) विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय—समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
(2) विद्यालय के प्रबन्धसमिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
(3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेगें और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
(4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षापरिषद अथवा बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौसिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इम्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगें ।
(5) संस्था के शिक्षण शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगें ।
कर्मचारियों की सेवा शर्तें बाई जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
(7) राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
(8) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा ।
(9) उत्तर प्रदेश शिक्षा संहिता की धारा—105 से 107 के अन्तर्गत विभिन्न वर्गो के छात्रों को अनुमन्य शुल्क मुक्ति संस्था के छात्रों को प्रदान की जायेगी ।
(10) उक्त शर्तो में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नही किया जायेगा ।

16—संस्था का विघटन—संस्था का विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा—13 व 14 के अन्तर्गत की जावेगी ।

दिनॉक—

सत्यप्रतिलिपि

मधु गुप्ता

magarwal

मंजू गुप्ता

NOTARY
PAWAN KUMAR
Regd. No. 2322
GOVT. OF INDIA

13/3/09